# डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

Ph No.0522- 6692120, Fax No.- 0522- 4918506, Website- www.drrmlims.ac.in


कोटेशन नोटिस संख्याः– 38 / निदेशक कैम्प/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2021 दिनांकः– 05.04.2021

## कोटेशन नोटिस

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, अपने परिसर में सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ द्वारा अधिकृत एजेण्टों से परागबूथ संचालन कराने हेतु सील बंद वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट –www.drrmlims.ac.in पर देख सकते हैं।

निदेशक

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
फोन नं0–0522-6692120, 6692101, फैक्स नं0–0522-4918506

## परांग बूथ संचालन हेतु कोटेशन सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

पराग बूथ हेतु अधिकृत एजेण्टों/फर्म से बूथ संचालन के लिए सीलबन्द लिफाफे में कोटेशन प्रस्ताव वित्तीय आमंत्रित करने के लिए सामान्य नियम व शर्ते निम्नवत् हैः–

**समान्य नियम व शर्तेः–**

1. इस कोटेशन पर प्राप्त एजेण्ट को कार्य संचालन की अनुमति की वैद्यता 01 वर्ष के लिए होगी।
2. पराग बूथ में तैयार किये जाने वाले खाद्य सामग्रियों की जॉच उ०प्र० सरकार के नियंत्रक विभागों के अतिरिक्त संस्थान के डायटिशियन अथवा निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। साफ सफाई के सम्बन्ध में भी उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी।
3. पराग बूथ में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निदेशक द्वारा न्यायोचित दण्ड शुल्क/कोटेशन निरस्तीकरण, अधिरोपित किया जा सकता है।
4. पराग बूथ में विक्रय योग्य खाद्य सामग्रियों का विक्रय मूल्य निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा बाजार दर को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
5. कोटेशनदाता द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के समस्त नियमो० जैसे पालीथीन का प्रयोग न करने अथवा बाल श्रमिक न रखने जैसे अन्य कोई भी नियम जो प्रतिपादित किये जाते है उनका पालन किया जायेगा परन्तु यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से कोटेशन दाता की होगी।
6. संस्थान द्वारा कोई भी फर्नीचर उपलब्ध नही कराया जायेगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रू० 10000.00 (रू० दस हजार मात्र) सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होगा जो अनुबन्ध समाप्त होने के 01 माह उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
8. पराग बूथ में विद्युत आपूर्ति हेतु सबमीटर संस्थान द्वारा लगाया जायेगा तथा प्रतिमाह मीटर रीडिंग के अनुसार संस्थान को प्राप्त हो रहें विद्युत दर पर विद्युत का मूल्य भोजन प्रदाता फर्म द्वारा संस्थान को भुगतान करना होगा।
9. फर्म को वैद्य फूड लाइसेन्स, श्रम विभाग, जीएसटी, इनकम टैक्स (पैन) पंजीकरण प्रमाण पत्र वित्तीय प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा।
10. एक एजेन्ट/फर्म को एक ही बूथ आवंटित किया जायेगा।
11. बूथ स्थापना हेतु संस्थान में 09 वर्गमीटर क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जायेगा।
12. लिफाफे पर "पराग बूथ हेतु वित्तीय प्रस्ताव" अवश्य लिखा हो।

उक्त के अनुसार पराग बूथ संचालन कराने हेतु निम्नलिखित प्रारूप में दिनांक 20.04.2021 तक वित्तीय प्रस्ताव देने का कष्ट करें।

निदेशक

# वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

अधिकृत एजेण्ट / फर्म का नाम–

पता–

मोबाईल नं0

ई–मेल आई0डी0–

आधार कार्ड संख्या–

| क्र0सं0 | परागबूथ स्थापित करने का स्थान | स्थान द्वारा दिये जाने वाला क्षेत्रफल | न्यूनतम किराया (प्रतिमाह) | वित्तीय प्रस्ताव किराया प्रतिमाह |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (हास्पिटल ब्लाक) | 09 वर्गमीटर | 10000.00 दस हजार | अंको में–<br>शब्दों में– |
| 2 | डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (मुख्य चिकित्सालय) | 09 वर्गमीटर | 10000.00 दस हजार | अंको में–<br>शब्दों में– |

नोट–एक एजेन्ट / फर्म को एक ही बूथ आवंटित किया जायेगा।